कार्यालय, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सन्ना (छ.ग.)

परिशिष्ट – एक

ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क्रमांक/153/स्था./आई.सी.डी.एस./2024–25 सन्ना, दिनांक 03/7/2024

एतद द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि बाल विकास परियोजना सन्ना जिला जशपुर (छ0ग0) अंतर्गत संचालित निम्नानुसार ऑगनबाड़ी केंद्रों में पदोन्नति हेतु काई पात्र मिनी कार्यकर्ता/ सहायिका नही पाये जाने के फलस्वरूप कार्यकर्ता पद की पूति सीधी भर्ती से किया जाना है। अतः **कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका** का पद रिक्त होने की तथा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना दी जाती है। नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यार्थी अपना **आवेदन दिनॉक 10.07.2024 से दिनॉक 24.07.2024. तक** पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से **बाल विकास परियोजना कार्यालय सन्ना जिला जशपुर (छ0ग0)** को भेज सकते है। सीधे और विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.	आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्र का नाम	केंद्र क्रमॉक	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	कामारिमा		कामारिमा/कामारिमा	कार्यकर्ता
2	मुढ़ी 2		मुढ़ी/ मुढ़ी	कार्यकर्ता
3	गम्हरकोना		गम्हरकोना/कोदोपारा	कार्यकर्ता
4	शक्तिटोली (मिनी)		महुआ/महुआ	मिनी कार्यकर्ता
4	दतुनपानी		कामारिमा/ कामारिमा	सहायिका

- **आवश्यक आर्हताएँ एवं शर्तें :–**

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा।
6. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/ मिनी कार्यकर्ता/सहायिका पद के लिये अभ्यार्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
7. 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाली ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका/ संगठिका /सह–सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। 01 वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें सेवा में दुबारा नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी /शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
8. जिस ग्राम में ऑगनबाड़ी केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

   (क) उस ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमॉक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

   अथवा

   संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

5. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

1	ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण
	आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

(जिन अभ्यार्थियों का अंकसूची ग्रेडिंग पद्वति द्वारा तैयार की गई है उन आवेदिकाओं की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल जहॉ वह अध्ययनरत रहे वहां से हस्ताक्षरित अंक तालिका प्राप्त कर आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

टीप :– उपरोक्तानुसार ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं /पॉचवीं रखी जावेगी।

6. यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखें एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा।

7. अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. पदों के चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किए गए है। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा:–

1. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया गया हो तो प्रस्तुत किया जावे।

अथवा

2. न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायलयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) परित्यक्ता महिला होने के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

9. आवेदन प्राप्ति पश्चात अभ्यार्थी को किसी प्रकार का त्रुटि सुधार करने का मौका नहीं दिया जायेगा। आवेदन गलत/अपूर्ण /अहस्ताक्षरित पाये जाने पर आवेदन निरस्त किये जायेंगे। दावाआपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतः आवेदन करते समय अभ्यार्थी आवेदन प्रारूप का पहले अच्छे से अध्ययन कर तथा समझकर सभी आवश्यक प्रविष्टियां नियत स्थान पर करें यथा– कार्यालय का नाम, ऑगनबाड़ी केंद्र का नाम, पद का नाम इत्यादि तथा वांछित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।

10. यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/ जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में अध्ययनरत रहा हो तो वह संबंधित संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।

11. यदि अभ्यार्थी का परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार स्वतः शामिल सूचकॉक अथवा वंचन सूचकॉक के अन्तर्गत चिन्हांकित हो तो वह अपना सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की

सूची संबंधित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर जनपद पंचायत बगीचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / उनके अधिकृत अधिकारी से सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने पर मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।

12. ऑगनबाड़ी सहायिका भर्ती में किसी तरह का कोई लिखित परीक्षा / साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा, बल्कि सभी प्रावधानों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरीट सूची के आधार पर नियुक्ति किया जावेगा।

16. नियुक्ति पश्चात यदि किसी अभ्यार्थी को की गई नियुक्ति से कोई आपत्ति हो तो वह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधीनियम 1993 के प्रावधानों के तहत विहित अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।
17. पद हेतु आवेदन करते समय अभ्यार्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यदि छानबीन में कोई दस्तावेज कूटरचित, जाली अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यार्थी के विरूध बिना कोई सूचना के वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
18. शेष नियम एवं शर्ते शासन द्वारा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनी कार्यकर्ता / सहायिका के पदों पर जारी नियुक्ति निर्देश एवं समय–समय पर जारी संशोधन आदेश के अधीन रहेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिकाएं रिक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। (**सभी दस्तावेज अभ्यार्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जावेंगे।**)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
सन्ना, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक / 154 / स्था. / आई.सी.डी.एस. / 2024 सन्ना, दिनांक 03/7/2024

प्रतिलिपि :–

1. संचालक महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. उप संचालक जन संपर्क विभाग, जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया लोक हित में स्थानीय 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष महोदय, जनपद पंचायत बगीचा की ओर सादर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बगीचा की ओर सादर सूचनार्थ।
10. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सन्ना की ओर सूचनार्थ। कृपया विज्ञापन की प्रति संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव को तामिल कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
11. ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव .... की ओर सूचनार्थ। कृपया अपने पंचायत में जारी विज्ञापन के संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार करें एवं ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत के सूचना पटल में भी एक प्रति चस्पा की जावे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
सन्ना, जिला–जशपुर (छ.ग.)